

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
अतारंकित डायरी संख्या	:	926
उत्तर की तिथि	:	10-09-2024
विषय	:	चिकित्सा शुल्क
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री पूर्ण चन्द ठाकुर (दरंग)
सम्बन्धित मन्त्री	:	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।

<u>प्रश्न</u>	<u>उत्तर</u>
(क) प्रदेश में सरकारी व निजी अस्पतालों में सी०टी० स्कैन, एम०आर०आई०, सी०सी०यू० तथा आई०सी०यू०, स्पेशल व निजी वार्ड के क्या-क्या शुल्क हैं; ब्यौरा सूचीवार दें;	सूचना एकत्रित की जा रही है
(ख) यह सत्य है कि विभिन्न श्रेणियों के निजी अस्पतालों में सरकार द्वारा टैस्टों के मूल्य नियंत्रित/निर्धारित किए जाते हैं; यदि नहीं, तो सरकार इस हेतु क्या विचार रखती है;	
(ग) यह भी सत्य है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु आई०सी०यू० व सी०सी०यू० के शुल्क स्पेशल वार्ड से कम हैं; यदि हां, तो सरकार कब तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु इन्हें बढ़ाने का विचार रखती है;	
(घ) क्या सरकार कैल्शियम व मल्टी विटामिन की चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; और	
(ङ) क्या नया पे कमीशन लागू होने के पश्चात चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते को फिक्स या ओपन करने सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी गई है; यदि नहीं, तो कब तक जारी कर दी जाएगी ?	